B.A Part-2 Psy. Paper-3 Group:A (Research Methodology)Study material by Dr. Prabha Shree (Guest Faculty, Deptt. Of Psychology, Vaishali Mahila College, Hajipur) Date- 01.07.2020

Case Study Method

मनोविज्ञान की यह एक प्रमुख विधि है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। इस विधि का उपयोग clinical psychologists द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान करने तथा उसके कारणों को पता लगाने में काफी किया जाता है। यही कारण है कि इसे नैदानिक विधि भी कहा जाता है।

इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं जो उसके साथ मां के गर्भ में आने से ही घटित हो रहा है, का एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस विधि में मनोवैज्ञानिक विशिष्ट तरह के व्यक्ति का अध्ययन कर उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उनके आधार पर वे कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो अधिक से अधिक

व्यक्तियों के लिए सही एवं यथार्थ हो। केस विवरण तैयार करते समय मनोवैज्ञानिक निम्नांकित तथ्यों पर अधिक ध्यान देते हैं-

- **प्रारंभिक सूचनाएं** (Preliminary information)- इसके अंतर्गत व्यक्ति के नाम, उम्र, यौन, माता-पिता का उम्र, शिक्षा, पेशा, सामाजिक स्तर, परिवार में सदस्यों की संख्या आदि जैसे तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है।
- **गत इतिहास (Past History)-** इसके अंतर्गत गर्भधारण से वर्तमान समय

तक का इतिहास तैयार किया जाता है। जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, तो उस समय मां की स्थिति कैसी थी, मां में उस समय कोई भयंकर शारीरिक या मानसिक बीमारी हुई थी या नहीं, जन्म लेते समय की अवस्था कैसी थी, जन्म सामान्य ढंग से हुआ था अथवा नहीं, किसी प्रकार की शारीरिक आघात आदि की घटना हुई थी या नहीं, से संबंधित तथ्य इकठ्ठा किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति का birth order , बचपनावस्था में किसी भयंकर शारीरिक

बीमारी या प्रभाव आदि से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है।

- **वर्तमान अवस्था (Present condition)-** केस विवरण तैयार करने में व्यक्ति के वर्तमान अवस्था के बारे में भी एक लेखा-जोखा तैयार कर लिया जाता है। जैसे- बालक की बुद्धि स्तर, उसकी रुचि, शौक, अभिक्षमता, सांवेगिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि के बारे में सूचनाएं इकट्ठा किया जाता है।

केस विवरण तैयार करने के बाद उसका विश्लेषण कर व्यक्ति के बारे में

एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है।